ट्रेड यूनियन पंजी. सं.-10293

राष्ट्र हित उघोग हित श्रमिक हित

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ,उ0प्र0

Joint NHM Employee Union.P.

सम्बद्ध- भारतीय मजदूर संघ

संबद्धता सं.-उ0प्र0-281

अध्यक्ष
डा अनिल गुप्ता
मो०- 9415570717

संयोजिका
सुनैना अरोड़ा
मो०-9873095080

महामंत्री
योगेश उपाध्याय
मो०- 8400555544

पत्रांक : JNHM/ 2023/ 146 दिनांक – 12.09.2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण

उत्तर प्रदेश शासन ।

विषय - 27 सितम्बर 2023 को भारतीय मजदूर संघ घोषित रैली कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रतिभाग करने के सम्बंध में ।

महोदय,

जैसा कि आप संज्ञानित है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा आम जन तक पहुंचाने में सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मी प्रतिवद्ध है जिसके क्रम कोविड जैसी महामारी हो या फिर इंसेफलाइटिस व अन्य विमारी व स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने में आपके दिशा निर्देश में समस्त कार्मिक पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं मगर निराशा के साथ अवगत कराना है कि लगभग एक लाख संविदा कर्मिको एक लाख परिवारों की आम समस्याओं का समाधान अभी तक नही हो पाया है जबकि संघ हर संभव स्तर पर अपनी बात पहुचा चुका है ।

भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2023 को लखनऊ स्थित इकोगार्डन पार्क में प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन करने जा रहा है जिसमे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्मिको की समस्याओं को लेकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ घटक संघ होने के नाते निम्न मांगो के साथ रैली में प्रतिभाग करेगा-

दिनांक- 18 सितम्बर 2023 को संयुक्त NHM संघ उत्तर प्रदेश जनपद के समस्त जिला इकाई जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा,
तथा दिनांक 27 सितम्बर 2023 को लखनऊ रैली में प्रतिभाग करेंगे।

प्रमुख मांग निम्नवत है-

Add- 7-D/41,Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow- 226002
Email : jointnhmunion@gmail.com Ph- 8400555544,9415570717,9873095080

1.समान कार्य समान वेतन जैसा कि आप संज्ञानित है कि वर्तमान में संविदा कर्मचारी द्वारा किया जा रहा कार्य सभी के सामने है शाक्ष्यो की माने तो संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारी के बराबर कार्य कर रहा है जिसके फलस्वरूप वह समाना कार्य समान वेतन का हकदार है कुछ विशेष बिंदु निमनवत है

a. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2016 में जारी निर्देशों के क्रम में एक ही पद पर कार्य कर रहे कार्मिकों का वेतन एक समान होना चाहिए चाहे वह संविदा कर्मचारी हो अथवा दैनिक वेतन भोगी अथवा नियमित कर्मी |
b. उत्तर प्रदेश में वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2013 के आदेश संख्या - वे0आ0-2-502/दस-54(एम)2008टी0सी0 दिनांक 30 अगस्त 2013 के क्रम राज्य संविदा कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन (ग्रेड पे व मंहगाई भत्ता) दिया जाएगा |
c. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हरियाणा राज्य में कार्यरत कार्मिकों को 5 वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने पर समान कार्य समान वेतन (ग्रेड पे व मंहगाई भत्ता) के अनुरूप वेतन का निर्धारण होता है |

2. **नियमतिकरण-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत कार्मिको के नियमितीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा 21 दिसम्बर 2011 को समस्त कार्मिको हेतु एंव 29 अगस्त 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) हेतु नए पदों का विभाग में सृजन कर संविदा कार्मिको के नियमतिकरण का सुझाव दिया गया था मगर अभी तक मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिको के नियमतिकरण की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नही की गई है,आपसे अनुरोध है कि समस्त संर्वगो के नियमितीकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. **बीमा एंव वेतनविसंगति-** भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों को बीमा (चिकित्सा एंव दुर्घटना) का लाभ दिए जाने हेतु वर्ष 2018 तथा 2016 से वेटनाविसंगति दूर किए जाने हेतु बजट आवंटित किया जा चुका है मगर अधिकारियों के लापरवाही के कारण अभी तक कार्मिकों को बीमा का लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वर्ष 2020 में अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था मगर अभी तक कम्पन्नी का चयन नहीं हो पाया है तथा वेतन विसंगति दूर किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया था जिसमे संगठन के प्रतिनिधि के रूप अधोहस्ताक्षरी भी शामिल था जिसकी बैठक मात्र करके कोई परिणाम नही निकल पाया , संघ द्वारा अनेकों बार बैठक कर अनुरोध किया जा चुका है मगर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पाया है आए दिन अल्प वेतन भोगी किसी न किसी दुर्घटना से ग्रस्त होते है अधिकांश की मृत्यु भी हो जाती है और इससे समस्याओं का सामना उनके परिवार को करना पड़ता है।

4. **स्थानांतरण-** स्थांतरण की समस्याओं से एन एच एम संविदा कर्मी पीड़ित है जिसमें से अधिकांश महिलाएं जो आपने घर 300 से 500 किलोमीटर दूर रहकर अल्प वेतन में जीवन यापन कर रहे है पूर्व 2012, 2017, 2019 और 2021 में स्थनातरण किए गए जिसमें से 2012 एंव 2017 रिक्त पद के सापेक्ष स्थानांतरण हुआ था जिसका लाभ अधिकांश को मिला मगर 2016 के बाद नवीन तैनाती बड़े स्तर की है जिसके वजह से तैनाती दूर जनपदों में हुई है, भारत सरकार द्वारा भी निर्देश है कि कार्मिकों स्थानांतरण किया जाए जिसके क्रम में अन्य राज्यो में स्थनातरण हुआ है आपसे निवेदन है कि रिक्त पदो पर स्थानांतरण बहाल किए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करे ।

Add- 7-D/41,Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow- 226002
Email : jointnhmunion@gmail.com Ph- 8400555544,9415570717,9873095080

5. **<u>कोविड 19 के अस्थायी कार्मिकों का समायोजन</u>** 2020 से कोविड 19 महामारी के दौरान जांच एंव इलाज के लिए रखे गए कार्मिकों का अंतिम सेवा विस्तार 31 जुलाई 2023 तक का ही किया गया जिसके उपरांत वर्तमान में तैनात लगभग 3250 कार्मिक जिसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स , ओ. टी. टेक्नीशियन, चिकित्सक, माइक्रोबायोलाजिस्ट, एन.एम. एस, कम्प्यूटर आपरेटर व अन्य पदों पर तैनात कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे इनके द्वारा विगत वर्षो में किए गए कार्यों के फलस्वरूप इन्हे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।
चूँकि उक्त कार्मिको का कार्यकाल एक नियत समय के लिए किया था मगर विभाग की आवश्यकता एवं कार्मिको कार्यानुभव को ध्यान में रखते हुए इनका समायोजन अन्य कार्यक्रम में किया जा सकता है जिससे विभाग को दक्ष एवं अनुभवी कार्मिक प्राप्त हो सकेंगे।

6. **<u>सामाजिक सुरक्षा-</u>** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों का अल्प वेतन होने के कारण किसी प्रकार की सुविधा अथवा बचत से वंचित रहते है और किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा सेवा काल पूर्ण होने की दशा में जीवन यापन करना कठिन हो जाता है अतः आपसे निवेदन है कि सामजिक सुरक्षा के दृष्टिगत कार्मिकों ग्रेच्यूटी मकान किराया भत्ता वा अन्य लाभ जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समकक्ष चल रही योजना शिप्सा में प्रदान किया जाता है तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर मंहगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है एवं भारतीय जनता पार्टी शाषित राज्य मध्य प्रदेश में भी NHM कार्मिको को नियमित नियुक्तियों में वरियता NPS बीमा,वेतन वृद्धि, जॉब सुरक्षा जैसे अनेको लाभ की घोषणा की गई है। **वर्तमान में G20 जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है के अन्तर्गत L20 (लेबर20) जिसकी अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ कर रहा है का मुख्य विषय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्मिको / श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा (सम्मान जनक वेतन , बीमा, ग्रेच्यूटी, पेंसन) प्रदान किया जाना है।**
अनुरोध है कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिको को उक्त का लाभ प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7. **<u>वार्षिक वेतन वृद्धि</u>** - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों का अल्पवेतन के साथ वार्षिक वेतन वृद्धि मंहगाई के अनुसार नही बढ़ाई जाती है, साथ ही अवगत कराना है कि वर्ष 2013 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि 10% दिया जाता था तथा अन्य वित्त पोषित योजनाओं में 10% वार्षिक वेतन वृद्धि का का लाभ दिया जाता है आपसे अनुरोध है कि समस्त कार्मिकों को 10% वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कष्ट करे।

8. **<u>लॉयलिटी बोनस</u> -** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को तीन तथा पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 10% एवं 5% बोनस का लाभ दिया जाता है, मगर मिशन 2005 से संचालित है जिससे 15 वर्ष से अधिक पुराने कर्मचारी भी है जिसके दृष्टिगत 7 एवं 10 वर्ष पर बोनस दिए जाने की आवश्यकता है आपसे निवेदन है कि उक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने की कष्ट करे।

Add- 7-D/41,Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow- 226002
Email : jointnhmunion@gmail.com Ph- 8400555544,9415570717,9873095080

9. **<u>आऊट सोर्स कार्मिको का DHS/ SHS में समायोजन</u>** - मिशन अंर्तगत एजेंसी के माध्यम से HIMS, MCTS, कार्यालय सहायक, अकाउंटेंट, डाटा असिस्टेंट व अन्य पदों पर कार्मिक कार्यरत है एजेंसी के होने के कारण कार्मिको का मानशिक एंव आर्थिक शोषण होने के संभावनाएं बढ़ जाती है समय से वेतन न मिलना, वेतन में कटौती , EPF का भुगतान एजेंसी द्वारा न किया जाना , नौकरी से निकालने की धमकी दिया जाना जैसी अनेको समस्यओं का सामना करना पड़ता है साथ ही एजेंसी को सर्विस चार्ज एवं टैक्स के नाम मे अतिरिक्त भुगतान भी देना होता है जिसका विभाग पर अतिरिक्त भर पड़ता है जबकि उनको विभागीय संविदा पर किया जा सकता है , आपसे अनुरोध है कि कार्मिको का समायोजन DHS/ SHS से किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर,

yogesh

योगेश उपाध्याय
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. माननीय उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
5. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य / परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति , उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

Joint NHM Union U.P
पंजी.सं.10293
उत्तर प्रदेश

yogesh

योगेश उपाध्याय
प्रदेश महामंत्री

Add- 7-D/41,Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow- 226002
Email : jointnhmunion@gmail.com Ph- 8400555544,9415570717,9873095080